

June 15, 2026

The Manager – Listing National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai -400051 <u>Scrip Code: PNBGILTS</u>	The Manager – Listing BSE Ltd. Phiroze JeeJeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400 001 <u>Scrip Code: 532366</u>
---	--

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”)

Ref: Newspaper advertisement on Notice of transfer of equity shares of the Company to IEPF

Dear Sir/Madam,

With reference to the above subject matter, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement given by the company as per the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and Section 124(6) of the Companies Act, 2013, intimating therein, inter-alia, the shareholders about the required transfer of shares (on which dividend has not been paid or claimed by a shareholder for a period of seven consecutive years or more) to the Investors Education and Protection Fund Authority.

The newspaper advertisements are published on June 15, 2026 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) .

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For PNB Gilts Ltd.

(Monika Kochar)
Company Secretary & Complianace Officer

Date : June 13, 2026 Company Secretary and Compliance Officer



PNB GILTS LIMITED
CIN : L74899DL1996PLC077120
Regd. Office: 5, Sansad Marg, New Delhi - 110001
Tel. 011-23325759, 23325779

(Subsidiary of Punjab National Bank) Email: pnbgilts@pnbgilts.com; Website: www.pnbgilts.com

NOTICE

Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

In terms of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("Rules"), and other applicable provisions of the Act, if any, notice is hereby given to the shareholders of PNB Gilts Limited ("the Company") as under-

As per the said Act and Rules, the Company is required to transfer all shares, in respect of which dividend has not been paid or unclaimed by the shareholders for a period of seven (7) consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

In compliance with the rules, the Company has already sent individual notice(s) to those shareholders, at their latest available addresses/e-mail id, whose dividend amount is lying unclaimed and unpaid for past seven (7) consecutive years and the corresponding equity shares are liable to be transferred to the IEPF Authority. The list of such shareholders, including names of such shareholders and their folio number/ DPID-Client-ID is available on the Company's website https://www.pnbgilts.com. Shareholders are requested to verify the details of unclaimed dividends and the shares liable for transfer to the IEPF Authority.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original held by them for the purpose of dematerialisation and transfer of shares to IEPF Authority as per Rules and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of Corporate Action to convert the new share certificate into DEMAT form and transfer in favour of IEPF Authority. The original share certificate(s), which are registered in the name of original shareholders, will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholders are requested to claim the dividend declared for the financial year 2018-19 and onwards before the same is transferred to the IEPF so as to reach the Company on or before September 21, 2026.

For claiming dividend, following documents will be required:

-In case of equity shares held in physical form: Shareholders holding physical shares are requested to forward the Forms ISR 1, ISR 2 (with original cancelled Cheque bearing the name of the shareholder); SH 13 and Indemnity Bond in the format prescribed by the Company to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company - MCS Share Transfer Agent Ltd., 179-180, 3rd Floor, DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020. Ph:- 011-4140 6149, 4140 6150, 4140 6151 or write an email at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com on or before September 21, 2026 for claiming such unpaid dividend(s) so that the shares are not transferred to IEPF. The relevant forms can be downloaded from the website of the Company at www.pnbgilts.com.

-In case of equity shares held in the Electronic form: A request letter along with a self certified copy of Demat Account Statement (Client master list) showing name, address, demat and bank account details registered against the demat account and Indemnity Bond in the format prescribed by the Company has to be sent.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders, on or before September 21, 2026, the Company will be constrained to transfer the dividend to the IEPF by the due date in compliance with the rules. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven (7) consecutive years and all future benefits arising on such shares shall also be transferred without any further notice.

The Company, however, will not transfer such shares where there is a specific order of Court or Tribunal or any other statutory authority restraining any transfer of shares and payment of dividend or where such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996. The concerned shareholders, therefore, are requested to immediately communicate to the Company with the copy of the order in case of any injunctions / restraints orders etc. obtained from any court / statutory authority with respect to transfer of shares or payment of dividend.

The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

Upon transfer, the Shareholders will be able to claim these equity shares only from the IEPF Authority by making an online application the details of which are available at www.iepf.gov.in and sending a physical copy of the same duly signed to the Company along with the requisite documents enumerated in the "Web Form IEPF-5".

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend as well as shares which are transferred to IEPF. Shareholders can claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

In case the shareholder(s) have any queries please contact the Company's RTA i.e. MCS Share Transfer Agent Ltd., 179-180, 3rd Floor, DSIDC Shed, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020. Ph:- 011-4140 6149, 4140 6150, 4140 6151 Email :- helpdeskdelhi@mcsregistrars.com, else you can also write your concern to the nodal officer of the Company at 011-23325759/5779, email : monika.kochar@pnbgilts.com

The information contained in this notice is also available on the Company's website www.pnbgilts.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com.

For and on behalf of PNB Gilts Limited

Sd/-

(Monika Kochar)

Company Secretary & Nodal Officer

Place: New Delhi
Date: 14.06.2026

M. No. F6514

Ministry of Finance and Statistics, Government of India, New Delhi.
For DCM Shriram Limited
By Order of Board of Directors
Registered with the Registrar of Companies, New Delhi.
Registered Office: 500032, email: dcm@shriram.com

Notice is hereby given to the shareholders of the Company that the Board of Directors has resolved to transfer the equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority...

The Board of Directors of the Company has resolved to transfer the equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority...

The Board of Directors of the Company has resolved to transfer the equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority...

The Board of Directors of the Company has resolved to transfer the equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority...

The Board of Directors of the Company has resolved to transfer the equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority...

The Board of Directors of the Company has resolved to transfer the equity shares of the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority...



Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is issued in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016...


Date : 14.06.2026
Place : New Delhi



Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is issued in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016...

Date : 14.06.2026
Place : New Delhi



Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is issued in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016...

Date : 14.06.2026
Place : New Delhi



Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This notice is issued in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016...

प्राचुर सं. आईएनसी-26*
(कंपनी निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन
केन्द्रीय सरकार के समक्ष
(क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1), नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
आस मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं.-19, ब्लॉक-डी, पॉकेट-4, सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 में स्थित है के मामले में
.....आवेदक
आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर्मणियों के रजिस्ट्रार दिल्ली-11' (सेक्टर दिल्ली) के अधिकार क्षेत्र से 'उत्तर प्रदेश राज्य कर्मणियों के रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश-11' के अधिकार क्षेत्र' में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 01 जून, 2026 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के सामान्य ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उसके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र निदेशालय-1, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अयोदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुं कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजें।
प्लॉट नं.-19, ब्लॉक-डी, पॉकेट-4, सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली-110085
कृते की ओर से
आस मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
तरुण अरुणल
निदेशक

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 15.06.2026
डीआईएन: 03195423

सार्वजनिक सूचना
केन्द्र सरकार,
कंपनी रजिस्ट्रार,
दिल्ली-1 के समक्ष
एक राज्य से दूसरे राज्य में एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए विज्ञापन
सोपित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) और सोपित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 17 के मामले में,
तथा
प्लैनेट इंग्ट सर्विसेज एलएलपी
(LLPIN: ACN-7075)
जिसका पंजीकृत कार्यालय
121, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, भारत 110020 है, के मामले में
..... आवेदक/एलएलपी
एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लैनेट इंग्ट सर्विसेज एलएलपी सोपित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-1 के समक्ष एक याचिका दायर करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में बदलने की अनुमति मांगी गई है।
कोई भी व्यक्ति जिसके हित पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस (21) दिनों के भीतर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर, या स्वयं उपरिष्ठ होकर, या पंजीकृत डाक द्वारा अपनी आपत्तियां भेज सकता है जो एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित होनी चाहिए, जिसमें उसके हित और विरोध के आधार स्पष्ट रूप से लिखे हों, और इसे कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली-1, 4थी मंजिल, आरएफएसआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019 के पते पर भेज जाना चाहिए, साथ ही, इसकी एक प्रति नीचे दिए गए पते पर याचिकाकर्ता एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए।
121, डीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, दक्षिण दिल्ली, नई दिल्ली, भारत 110020
कृते एवं की ओर से
प्लैनेट इंग्ट सर्विसेज एलएलपी
हस्ता./-
राजेश पासी
(नामित भागीदार)
दिनांक: 15.06.2026
स्थान: नई दिल्ली
DPIN: 02682748

पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड
CIN: L74899DL1996PLC077120
रजिस्टर्ड ऑफिस: 5, मंसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
फोन: 011-23325759, 23325779
ईमेल: pnbgills@pnbgills.com; वेबसाइट: www.pnbgills.com

सूचना
कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में अंतरण

निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, समय-समय पर संशोधित (नियम), एवं कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 124(6) अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, के अनुसार पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों को निम्नानुसार सूचना दी जाती है-
उक्त अधिनियम और नियमों के अनुसार, कंपनी को उन सभी शेयरों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण में स्थानांतरित करना आवश्यक है, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात (7) वर्षों या उससे अधिक की अवधि के लिए लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है।
नियमों के अनुपालन में, कंपनी पहले ही उन शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत नोटिस भेज चुकी है, जिनकी लाभांश राशि पिछले सात (7) लगातार वर्षों से दावा नहीं की गई और बकाया है और संबंधित इक्विटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसे शेयरधारकों के नाम और उनके फोलियो नंबर/डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी इत्यादि सूची कंपनी की वेबसाइट <https://www.pnbgills.com> पर उपलब्ध है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे दावा न किए गए लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को सत्यापित करें।
संबंधित शेयरधारक, जो शैथिल्य रूप में शेयर धारण करते हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं, वे ध्यान दें कि कंपनी डीमैटिजेशन और ट्रांसफर के उद्देश्य से उनके द्वारा गए मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में नया शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। नियमों के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों को हस्तांतरित करने हेतु, कंपनी नए शेयर प्रमाण पत्र को डीमैट फॉर्म में बदलने और आईईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में हस्तांतरण के लिए कॉंप्यूटिज्ड कार्डवार्ड के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और उन्हें गैर-प्रकार्य समझा जाएगा।
कंपनी के शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त शेयरों के आईईपीएफ में हस्तांतरण से पूर्व ही वे अपने वित्तीय वर्ष 2018-19 से अनवल्यूड लाभांशों को दावित करने हेतु नीचे दिए गये दस्तावेजों के साथ कंपनी को 21 सितंबर, 2026 से पूर्व ही पहुंचाने का कष्ट करें।
डिविडेंड का दावा करने के लिए, निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी:
-फिजिकल रूप में रखे गए इक्विटी शेयरों के मामले में-
फिजिकल शेयर रखने वाले शेयरहोल्डर्स से अनुरोध है कि वे कंपनी द्वारा बताए गए फॉर्म में फॉर्म 1, ISR 2 (शेयरहोल्डर के नाम वाला ऑरिजिनल सेलिन्ड चेक); SH 13 और डेडमिंडेड बॉन्ड कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट - MCS Share Transfer Agent Ltd., 179-180, तीसरी मंजिल, DSIDC रोड, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 को भेजें। फोन:- 011-4140 6149, 4140 6150, 4140 6151 या एसे अनपेड डिविडेंड का दावा करने के लिए 21 सितंबर, 2026 को या उससे पहले helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर ईमेल करें, ताकि शेयरों को IEPF में ट्रांसफर न किया जाए।
संबंधित फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.pnbgills.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
डीमैट में रखे गए शेयरों के लिए, कंपनी द्वारा निर्धारित प्रारूप में डीमैट खाते का सम्पूर्ण विवरण क्लाइंट मास्टर सूची सहित और क्षतिपूर्ति बांड की एक प्रति भेजनी होगी।
यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 21 सितंबर, 2026 को या उससे पहले कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी नियमों के अनुपालन में नियत तारीख तक आईईपीएफ को लाभांश हस्तांतरित करने के लिए बाध्य होगी। संबंधित शेयर जिन पर लगातार सात (7) वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है और ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी भावी लाभांशों को भी बिना किसी और सूचना के हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
कंपनी, हालांकि, ऐसे शेयरों को हस्तांतरित नहीं करेगी जिनका किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा किसी भी हस्तांतरण और लाभांश के भुगतान को रोकने के लिए एक विशिष्ट आदेश है या ऐसे शेयर जिनको डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के प्रावधानों के तहत गिटवी रखा गया है। इसलिए, संबंधित शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयरों के हस्तांतरण या लाभांश के भुगतान के संबंध में किसी भी न्यायालय / वैधानिक प्राधिकरण से प्राप्त किसी भी निषेधाज्ञा/प्रतिबंध आदेश आदि के मामले में आदेश की प्रति के साथ कंपनी को तुरंत सूचित करें।
शेयरधारकों हेतु उल्लेखनीय है कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए विवरण को नियमानुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के हस्तांतरित करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा नए शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा। हस्ताक्षरित होने पर, शेयरधारक केवल ऑनलाइन आवेदन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से इन शेयरों पर दावा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, शेयरधारक 'वेब फॉर्म आईईपीएफ-5' के साथ उक्त फॉर्म में सूचीबद्ध दस्तावेजों को कंपनी के पास भेजें। कृपया ध्यान दें कि दावा न किए गए लाभांश के साथ-साथ आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा। शेयरधारक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ प्राधिकरण से लाभांश और संबंधित शेयरों का दावा कर सकते हैं, जिसमें ऐसे शेयरों पर होने वाले सभी लाभ, यदि कोई हों, शामिल हैं।
यदि शेयरधारक(ओं) के पास कोई प्रश्न है तो कृपया कंपनी के शेयर ट्रांसफर एजेंट अर्थात् एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110020, दूरभाष: 011-41406149, 41406150, फैक्स: 011-41409881, ईमेल: helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर सम्पर्क करें। इसके अलावा कंपनी के नोडल अधिकारी को 011-23325759/5779 पर सम्पर्क करें या ईमेल: monika.kochar@pnbgills.com पर भी लिख सकते हैं।
इस नोटिस में वर्णित सूचना कंपनी की वेबसाइट www.pnbgills.com और बीएसई की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा एनएसई की वेबसाइट (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड के लिये
हस्ता./-
(मोनिका कोचर)

स्थान: नई दिल्ली
कंपनी सैक्रेटरी और नोडल ऑफिसर
सदस्यता संख्या F6514

11/मिडिया खाला का प्राथम एप सामग्य (3/3/07/2026)
(ऑनलाइन)
वित्तीय पारदर्शिता मानदंड, संगम प्रकृति के कार्य के उपलब्ध विस्तृत विविधा सूचना देखें। तथापि, पूर्ण सार्वजनिक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, www.concordia.com, www.tenderwizard.com और www.CIL.com पर समाचार-पत्रों में पृथक विज्ञापन जारी नहीं किया जाए

भारतीय राजमार्ग (सड़क परिवहन ए-5, इंस्टीट्यूशनल ए

भारतीय राजमार्ग अभियंता एकेडमी प्रशिक्षण हेतु एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रशिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार के सोसायटी है। आईएचई द्वारा अनुभव ग्रेड में (i) कोर फ़ैकल्टी (हार्डवेयर); (ii) (पेवमेंट); (iv) कोर फ़ैकल्टी (सैफ्टी) आमंत्रित किए जाते हैं।
आवेदन प्राप्ति की अ
इस विज्ञापन के संबंध में शुद्धिपत्र अ होगा तो, केवल आईएचई की वेबसाइट आवेदन प्रपत्र, योग्यताएं, अनुभव, वे के संबंध में अधिक जानकारी हेतु <https://iahe.morth.gov.in> देखें।

ऑयल एंड नेचुरल ऑयल एंड नेचुरल

पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नं. 5ए-5बी, नेल्स
CIN: L74899DL
वेबसाइट: [www.ONGCINDIA.COM](http://www ONGCINDIA.COM)

रुचि की अभि

ओएनजीसी, कैंटरपिलर इंजनों हेतु आवश्यकताओं के लिए स्वतंत्र विक्रेताओं के अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करता है।
इस ईओआई का उद्देश्य ऐसे तकनीकी रूप से कैंटरपिलर इंजनों के स्पेयर पार्ट्स (मेंटेनेंस) संबंधी आवश्यकताओं में सहायता संबंधित विस्तृत जानकारी ओएनजीसी <https://tenders.ongc.co.in/> ईओआई 05.07.2026 है। इच्छुक विक्रेता अ TS_SUPPORT@ONGC.CO.IN पर प्रस्तुत
इस ईओआई से संबंधित किसी भी प्रकार अ अथवा समय-विस्तार की सूचना केवल ओए जाएगी। इस संबंध में अलग से कोई अतः इच्छुक पक्षों को सलाह दी जाती है कि रूप से अवलोकन करते रहें।

RAM RATNA SHRAMIK (CIN: L

Regd. Off.: Ram Ratna House, Vicks
Pandurang Budhkar Marg,
Tel: +91 - 22 -
Website: www.rsrshramik.com • Email

Special Window for Transfer Physical S

This is in continuation of our earlier SEBI Circular No. HO/38/13/11(2), dated January 30, 2026, we hereby for Transfer and Dematerialisation open upto February 04, 2027. The transfer deeds lodged prior to rejected/returned/not attached documents/process/or otherwise a transfer request(s) are not lodged, shareholder is holding original shareholders may contact to the C Transfer Agent ("RTA") i.e., Datama at Plot No. A 16 & 17, Part B Cro Mumbai - 400093, Tel: 022 investorsqry@datamaticsbbpm.com.